

न्यायालय:-मधुसूदन जंघेल,  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म0प्र0)

दाण्डिक प्रक0 क0-336 / 2015  
संस्थित दिनांक-13.05.2015

म0प्र0 राज्य द्वारा पुलिस चौकी उकवा  
आरक्षी केन्द्र रूपझर जिला बालाघाट (म0प्र0) .....अभियोजन

-  
!!विरुद्ध!!

सुरेन्द्र पिता स्व0 दशरथलाल उम्र-44 वर्ष,  
निवासी-ग्राम छिंदीटोला वार्ड नंबर 19 गुदमा  
चौकी उकवा थाना रूपझर जिला बालाघाट (म0प्र0) .....आरोपी

-:: निर्णय ::-  
( दिनांक 17/04/2018 को घोषित किया गया )

**01:-** उपरोक्त नामांकित आरोपी पर दिनांक 10.03.2015 को समय करीब 15:30 बजे आरक्षी केन्द्र रूपझर ग्राम छिंदीटोला में फरियादी भारती बघेल के पति होते हुए दहेज की मांग को लेकर फरियादी को मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ना करने एवं फरियादी भारती बघेल से विवाह के पश्चात दहेज के रूप में पैसों की मांग करने, इस प्रकार धारा-498ए भा.दं.वि. एवं धारा-3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है।

**02:-** प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दिनांक 16/04/2018 को आरोपी एवं फरियादी के मध्य राजीनामा हो जाने से उभयपक्ष द्वारा राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया गया, किन्तु धारा-498ए भा.दं.वि. एवं धारा-3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम राजीनामा योग्य न होने से आवेदन निरस्त किया गया एवं आरोपी का विचारण किया गया।

**03:—** अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का है कि फरियादी भारती बघेल का विवाह दिनांक 11.04.2009 को जाति रीति रिवाज से आरोपी सुरेन्द्र के साथ हुआ था। विवाह के अवसर पर आरोपी को फरियादी के माता-पिता ने अपनी हैसियत अनुसार दान-दहेज दिया था, किन्तु आरोपी सुरेन्द्र फरियादी को दहेज की मांग को लेकर ताने देने लगा। घटना दिनांक 10.03.2015 को आरोपी चूल्हे की लकड़ी से फरियादी को दहेज की मांग को लेकर मारपीट किया, जिससे फरियादी के सिर, पीठ एवं पैर में चोटें आईं। आरोपी ने फरियादी को मायके से पैसा लेकर आने की बात कहकर घर से निकाल दिया। घटना के उपरांत फरियादी ने चौकी उकवा में घटना की रिपोर्ट की, जिसे अपराध क्रमांक 0/15 धारा-498ए भा.दं.वि. एवं धारा-3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया। उक्त अपराध पर थाना रूपझर में अपराध क्रमांक 35/15 धारा-498ए भा.दं.वि. एवं धारा-3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया। घटना स्थल का मौका नक्शा बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

**04:—** आरोपी ने अपने अभिवाक् में अपराध करना अस्वीकार किया है। साक्ष्य के दौरान आरोपी के विरुद्ध कोई विपरीत साक्ष्य न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया।

**05:—प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय है:—**

1. क्या आरोपी ने दिनांक 10.03.2015 को समय करीब 15:30 बजे आरक्षी केन्द्र रूपझर ग्राम छिंदीटोला में फरियादी भारती बघेल के पति होते हुए दहेज की मांग को लेकर फरियादी को मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ना कारित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी भारती बघेल से विवाह के पश्चात दहेज के रूप में पैसों की मांग की ?

**—:: विवेचना एवं निष्कर्ष ::—****विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02**

साक्ष्य की पुनरावृत्ति तथा सुविधा की दृष्टि से दोनों विचारणीय प्रश्नों का विचारण एक साथ किया जा रहा है।

**06:—** जयचंद(अ.सा.-01) ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। आरोपी उसका मामा है। आरोपी का विवाह कुछ वर्ष पूर्व ग्राम गोदरी की भारती के साथ हुआ था। उसे आरोपी एवं फरियादी के मध्य किसी विवाद की जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर साक्षी ने इससे इंकार किया है कि शादी के कुछ दिन बाद से आरोपी अपनी पत्नि भारती को दहेज के लिए विवाद कर प्रताड़ित करते रहता था, इससे भी इंकार किया है कि दिनांक 10.03.2015 को दिन के 3:30 बजे आरोपी ने भारती से मारपीट किया और भारती के सिर से खून निकल रहा था, इससे भी इंकार किया है कि भारती ने उसे पूछने पर बताया था कि आरोपी ने दहेज की बात को लेकर लकड़ी से मारपीट की थी, जिससे सिर, हाथ तथा पैर में चोटें आई थी। इस साक्षी ने पुलिस कथन प्र.पी.01 का कथन देने से भी इंकार किया है। इस प्रकार इस साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

**07:—** भारती बघेल(अ.सा.-02) ने बताया है कि वह आरोपी सुरेन्द्र बघेल को जानती है। सुरेन्द्र से उसका विवाह लगभग 09 वर्ष पूर्व सामाजिक रीति रिवाज से हुआ था। वह आरोपी के घर छिंदीटोला ससुराल गई थी। आरोपी शराब पीकर घरेलू बात को लेकर कभी-कभी उससे झगड़ा करता था, जिसके कारण उसने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट की थी। आरोपी ने उसे दहेज की मांग को लेकर कोई मारपीट या प्रताड़ना नहीं किया है। उसने घटना की रिपोर्ट प्र.पी.02 थाना रूपझर में की थी। पुलिस ने घटना के संबंध में उसका बयान लेखबद्ध किया था। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि आरोपी दहेज में पैसे लेकर आने की बात को लेकर उसके साथ मारपीट करता

था, इससे भी इंकार किया है कि दिनांक 10.03.2015 को आरोपी ने दहेज की मांग को लेकर उसके साथ लकड़ी से मारपीट किया था। इस साक्षी ने पुलिस को रिपोर्ट प्र.पी.02 तथा कथन प्र.पी.03 में आरोपी द्वारा दहेज की मांग को लेकर मारपीट की बात बताने से इंकार किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वर्तमान में वह अपने पति के साथ अच्छे से रह रही है और उसका उसके साथ राजीनामा हो गया है, किन्तु इससे इंकार किया है कि राजीनामा होने के कारण वह न्यायालय में सही बात नहीं बता रही है।

**08:—** इस प्रकार स्वयं फरियादी भारती बघेल(अ.सा.02) ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि आरोपी दहेज में पैसे लेकर आने की बात को लेकर उसके साथ मारपीट करता था, इससे भी इंकार किया है कि दिनांक 10.03.2015 को आरोपी ने दहेज की मांग को लेकर उसके साथ लकड़ी से मारपीट किया था। इस साक्षी ने पुलिस को रिपोर्ट प्र.पी.02 तथा कथन प्र.पी.03 में आरोपी द्वारा दहेज की मांग को लेकर मारपीट की बात बताने से इंकार किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वर्तमान में वह अपने पति के साथ अच्छे से रह रही है और उसका उसके साथ राजीनामा हो गया है, किन्तु इससे इंकार किया है कि राजीनामा होने के कारण वह न्यायालय में सही बात नहीं बता रही है। स्वतंत्र साक्षी जयचंद(अ.सा.—01) ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। फरियादी भारती बघेल द्वारा आरोपी से राजीनामा कर लिये जाने एवं अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किये जाने से अभियोजन ने अपने शेष अन्य साक्षियों का परीक्षण नहीं कराया है। फलतः उपरोक्त संपूर्ण परिस्थितियों में अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत सूरजमल बनाम स्टेट (देहली एडमिनीस्ट्रेशन) ए.आई. आर. 1979 सु.को. 1408 एवं हीरालाल बनाम स्टेट आफ एम.पी. 2010 (2) म. प्र. वी.नो. 79 म.प्र.:- अवलोकनीय है।

09:— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 10.03.2015 को समय करीब 15:30 बजे आरक्षी केन्द्र रूपझर ग्राम छिंदीटोला में फरियादी भारती बघेल के प्रति होते हुए दहेज की मांग को लेकर फरियादी को मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ना कारित किया एवं फरियादी भारती बघेल से विवाह के पश्चात दहेज के रूप में पैसों की मांग की। फलतः आरोपी को धारा-498ए भा.दं.वि. एवं धारा-3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाकर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

10:— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

11:— आरोपी जिस कालावधि के लिए जेल में रहा हो उस विषय में एक विवरण धारा-428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बनाया जावे जो निर्णय का भाग होगा। निरोध की अवधि मूल कारावास की सजा में मात्र मुजरा हो सकेगी। आरोपी की पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा की अवधि निरंक है।

12:— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति जली हुई लकड़ी अपील अवधि पश्चात् मूल्यहीन होने से अपील न होने पर नष्ट की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

“मेरे निर्देश पर टंकित किया”

सही /—  
(मधुसूदन जंघेल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

सही /—  
(मधुसूदन जंघेल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)